P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बचपन हीनता : बाल श्रम

मंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा संकाय,

सारांश

बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश के वृद्धि और विकास में एक प्रमुख अवरोध है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है, जिसे हर एक को जन्म से जीने का अधिकार है। वो स्कूल जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं और दूसरे अमीर बच्चों की तरह अपने माता–पिता का प्यार व परवरिश पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी हर इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है। जीवन की हर जरूरी संसाधनों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपना बचपन कुर्बान करना पड़ता है।

मुख्य शब्द : भ्रष्टाचार, भाषावाद, बेरोजगारी, नियोक्ता, ज्वलनशील, नियोजित, रचनात्मकता।

प्रस्तावना

हमारा देश विश्व के प्रमुख प्रजातांत्रिक देशों में से एक है। इस देश में विभिन्न धर्मो, जातियों, वेश–भूषा के लोग निवास करते हैं। देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सफलता के नये आयाम प्राप्त किये हैं। विकास की आधुनिक दौड़ में हम अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। परन्तु इतनी सफलताओं के पश्चात् भी जनसंख्या वृद्धि, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भाषावाद, बेरोजगारी आदि अनेक समस्यायें हैं। जिनका निदान नहीं हो सका है अपितु इनकी जड़ें और भी गहरी होती जा रही हैं। बाल श्रम भी ऐसी ही एक समस्या है, जो धीरे–धीरे अपना विस्तार दे रही हैं।

बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश के वृद्धि और विकास में एक प्रमुख अवरोध है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है, जिसे हर एक को जन्म से जीने का अधिकार है। वो स्कूल जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं और दूसरे अमीर बच्चों की तरह अपने माता–पिता का प्यार व परवरिश पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी हर इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है। जीवन की हर जरूरी संसाधनों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपना बचपन कुर्बान करना पड़ता है।

बाल मजदूरी भारत में बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है जिसे नियमित आधार पर हल करना चाहिए। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा मिलकर हल करना चाहिए। बालश्रम एक ऐसी समस्या है जो धीरे–धीरे अपना विस्तार ले रही है। भारत में लगभग 33 मिलियन बालक बाल श्रम के रूप में कार्यरत हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र भारत के प्रमुख बाल श्रम राज्य हैं। भारत के सम्पूर्ण बाल श्रम का 20 प्रतिशत तो उत्तर प्रदेश में है। सम्पूर्ण विश्व में लगभग 150 मिलियन बालक बाल श्रम के विभिन्न रूपों में कार्यरत हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बालश्रम की वास्तविक स्थिति का अध्ययन।
2. बालश्रम के कारणो का अध्ययन।
3. बालश्रम निवारण के उपाय।
4. बालश्रम को समाज से हानियॉ।
5. बालश्रम को दूर करने के सरकारी अधिनियम।

बाल श्रम (निषेध और विनियम संशोधन अधिनियम, 2016

कुछ समय पहले 30 वर्ष बाद सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2016 को बाल श्रम (निषेध और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया इस अधिनियम में 1986 के बाल श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम [Child Labour (Prohibition and Reulation) Act, 1986] में संशोधन किया गया है ताकि किसी काम में बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति पर जुर्माने के अलावा सजा भी बढ़ाई जा सके, बाल श्रम पर इस नए कानून के अन्तर्गत अब किसी भी काम के

लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को 6 माह से दो साल तक की कैद की सजा तथा उस पर रु0 20 हजार से रु0 50 हजार का अधिकतम जुर्माना या दोनों ही लगाया जाएगा। इस प्रकार संशोधित अधिनियम के जरिए बच्चों को रोजगार देने वाले के लिए सजा को बढ़ाया गया है, जबकि पहले तीन महीने से एक साल तक की सजा और रु0 10 हजार से रु0 20 हजार तक के जुर्माना या दोनों का प्रावधान था, मौजूदा कानून में दूसरी बार अपराध में संलिप्त पाए जाने पर नियोक्ता को एक साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।

इस कानून में बाल श्रम को संज्ञेय अपराध मानते हुए इसमें नियोक्ता के साथ–साथ माता–पिता को भी दंडित किए जाने का प्रावधान है, हालांकि, स्कूल से बाद के समय में अपने परिवार की मदद करने वाले बच्चे को इस कानून के दायरे में नहीं रखा गया है अर्थात् 'पारिवारिक उद्यम (Family Enterprise)' में बच्चा स्कूल से आने के बाद अपने परिवार का हाथ बँटा सकता है, यह कानून फिल्मों, विज्ञापनों या टीवी उद्योग में बच्चों के काम पर लागू नहीं होता नया कानून 14 से 18 साल की उम्र के ''किशोरों'' को खानों, ज्वलनशील पदार्थों या विस्फोटकों तथा फैक्ट्री अधिनियम 1948 में शामिल खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित करने पर भी पाबंदी लगाता है, संशोधित कानून सरकार को ऐसे स्थानों पर और जोखिम भरे कार्यों वाले स्थानों पर समय–समय पर निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहाँ बच्चों के रोजगार पर पाबंदी है। इस प्रकार यह संशोधन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य देश में शिक्षा और आर्थिक दशा के बीच एक सन्तुलन कायम करने की कोशिश की गयी है। और सभी क्षेत्रों में 14 वर्ष से नीचे के बच्चों पर रोजगार पर पुनः प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि संविधान के मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा अन्य अधिनियमों के साथ–साथ 1948 के फैक्ट्री अधिनियम और 1952 के खान अधिनियम में पहले ही बाल श्रम पर निषेध की व्यवस्था की गयी है, साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) बाल अधिनियम, 2000 Juvenile Justice (Care and Protection) of Children Act-2000, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम, 1986 [Child Labour (Prohibition and Abolition) Act-1986 (Prohibition and Abolition)] (जिसे 2006 और 2008 में पुनः संशोधित किया गया) में बाल श्रम की पहचान, उसे रोकने तथा उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आधार उपलब्ध करता है। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद समस्या जस–की–तक बनी हुई है।

एक अनुमान के अनुसार, अभी भारत में 10.2 मिलियन बच्चे बाल श्रम के रूप में नियोजित हैं। यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो भारत में बाल श्रम की समस्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति में ज्यादा देखी गई। इस समूह के बच्चे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध है और कार्य की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।

इस विधेयक में बच्चे के सम्बन्ध में 'परिवार' के अन्तर्गत बच्चे के माता–पिता, भाई–बहन के अलावा बच्चे के पिता की बहिन और भाई तथा माता की बहिन एवं भाई को शामिल किया गया है और पारिवारिक उद्यम में परिवार के किसी सदस्य द्वारा अन्य व्यक्तियों को नियोजित करते हुए किसी कार्य, व्यवसाय अथवा कारोबार को शामिल किया गया है और ऐसे 'पारिवारिक उद्यम' में नियोक्ता और कर्मचारी जैसा कोई सम्बन्ध नहीं होगा तथा सुरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध होंगे। सरकार का कहना है कि यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते में किए गए प्रावधानों के अनुरूप है और सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की दिशा में भी इस ओर अधिक निधियाँ उपलब्ध कराकर आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन 'पारिवारिक उद्यम' की इस व्याख्या से बच्चे द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों का निश्चित तौर पर दायरा बढ़ेगा और इसमें ईंट भट्टा, गन्ना उद्योग, चूड़ी निर्माण, बीड़ी उद्योग आदि को भी शामिल किया जाएगा और इन उद्योगों में बच्चे के संलग्न होने से उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना लाजिमी है। भट्टे से निकलने वाले धुएँ, धूल के अलावा गन्ना उद्योग में बच्चा जब ट्रक से गन्ने लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में लगता है या गन्ने की सफाई करता है, उसकी बिक्री या मवेशियों को खिलाने के लिए उसके बण्डल तैयार करता है तो उससे भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है।

इस विधेयक से यह प्रश्न भी उठता है कि पारिवारिक उद्यमों में नियोजित बच्चे क्या पर्याप्त शिक्षा, खेलकूद तथा आराम भी कर रहे हैं और इस बात का भी सुनिश्चय कैसे होगा कि परिवार के भीतर स्थापित उद्यम में कार्यरत बच्चा शोषण मुक्त है, साथ ही अब तक के अनुभवों को देखते हुए इस कानून के तहत् की गई व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में संसाधनों की अपर्याप्तता भी एक प्रमुख बाधा रहेगी, इसलिए संसाधनों की समुचित उपलब्धता के साथ कार्यान्वयन की निरन्तर मॉनीटरिंग की भी जरूरत होगी।

घरेलू कामकाज के साथ बच्चे को जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा है कि बच्चों की शिक्षा और कार्य साथ–साथ चलें, जबकि यह तर्क निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (RTE) अधिनियम 2009 की भावना के विरुद्ध है इससे बच्चों को घरेलू व्यवसाय से जोड़ने से निश्चित तौर पर उनकी शिक्षा तो प्रभावित होगी ही, साथ ही स्वास्थ्य और उनका समग्र विकास भी बाधित होगा क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये बच्चे स्वयं यकीन का अनुभव करेंगे और स्कलों में उनकी उपस्थिति न केवल कम होगी, बल्कि उन्हें स्कूली समय और उसके बाद अपने सहपाठियों से खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कामकाजी बच्चे की स्कूल छोड़ने की समस्या यथावत् बनी रहेगी। इस प्रकार बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 में 'पारिवारिक उद्यम' के तहत् शिक्षा के साथ मजदूरी की जो व्यवस्था की गई है, वह स्वयं में

विरोधाभासी प्रतीत होती है, क्योंकि इससे बच्चे के स्वास्थ्य और उसकी शिक्षण प्रवृत्ति दोनों पर ही हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

कोई यानि बाल अधिकार और आप [CRY (Child Rights and You)] द्वारा जनगणना आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लगभग 14 मिलियन बाल ..... स्वयं अपना नाम नहीं लिख सकते, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि इस आयु वर्ग में तीन बाल श्रमिकों में से एक बच्चा अनपढ़ है, यही नहीं जिन बच्चों ने अपने परिवार का सहारा बनकर वर्ष के छह माह से कम समय तक कार्य किया, उनमें से 2 मिलियन बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। भारत में बाल श्रम की समस्या विकट है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2015 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 88 मिलियन बच्चे बाल श्रम के रूप में नियोजित हैं और इनमें अकेले भारत में काम करने वाले 5 से 17 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 5.7 मिलियन है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में की गई संवैधानिक व्यवस्थाएं, प्रमुख राष्ट्रीय नीतियाँ– भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य ..... धाराओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान अथवा किसी अन्य खतरनाक कार्य में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा (संविधान अनुच्छेद 24) और राज्य इस प्रकार की नीतियाँ तैयार करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी कार्यक्षमता सुरक्षित रह सके और किसी भी हालत में बच्चों की उम्र का शोषण न हो साथ ही बच्चों को समाज में एक गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि उसके बचपन व किशोरावस्था की पूरी तरह रक्षा सुनिश्चित हो। संविधान की धारा–45 के तहत् संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्यों के लिए 6–14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम पर भारत की पहल

बाल श्रम की रोकथाम हेतु भारत ने वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए हैं और वह निम्नलिखित संधियों पर हस्ताक्षर भी कर चुका है–

1. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन (संख्या 29)
2. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बलात श्रम सम्मेलन का उन्मूलन (संख्या 105)

बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीआरसी) ताकि देश के नौनिहालों का बचपन सुरक्षित हो और आगे जाकर सही मायने में वे अपनी भूमिका से परिवार, समाज तथा देश के निर्माण में योगदान दे सकें।

निष्कर्ष

बाल मजदूरी आज एक वैश्विक समस्या बन गयी है जो विकासशील देशों में बेहद आम है। बाल मजदूरी भारत में बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा मिलकर हल करना चाहिए ताकि देश के नौनिहालों का बचपन सुरक्षित हो और आगे जाकर सही मायने में वे अपनी भूमिका से परिवार, समाज तथा देश के निर्माण में योगदान दे सकें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा पी. के. : भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याए, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली*
2. *अग्रवाल डा0अमित : भारतीय सामाजिक समस्याए, लाल बुक डिपो मेरठ*
3. *अमर उजाला : बाल श्रम 13 मार्च 2018 मेरठ*
4. *पाण्डेय डा0 राजीव कुमार : भारतीय सामाजिक समस्याए, प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2018 आगरा*

Add atleast 2 more References in your paper